न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

(1) मूपाराम पुत्र पुनाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– डोडुआ, तह. व जिला– सिरोही
(2) लालिया पुत्र धर्माजी, जाति– मेघवाल, निवासी– डोडुआ, तहसील व जिला–सिरोही
(3) भूतिया पुत्र धर्माजी, जाति– मेघवाल, निवासी–डोडुआ, तहसील व जिला–द सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही
(2) श्रीमती होली पत्नि नवारामजी, जाति–घांची, निवासी–डोडुआ,तह. व जिला–सिरोही
(3) मूलाराम पुत्र नवारामजी, जाति–घांची, निवासी–डोडुआ,तह. व जिला–सिरोही
(4) प्रागाराम पुत्र नवारामजी, जाति–घांची, निवासी–डोडुआ,तह. व जिला–सिरोही
(5) बाबुलाल पुत्र नवारामजी, जाति–घांची, निवासी–डोडुआ,तह. व जिला–सिरोही
(6) उगी पत्नी मोनाजी पुत्री नवारामजी, जाति–घांची, निवासी–पाडीव, तहसील–सिरोही
(7) इन्द्रा पत्नी अनाराम पुत्री नवारामजी, जाति–घांची, निवासी–पाडीव, तह. सिरोही
(8) राधिका पत्नी विक्रम पुत्री नवारामजी, जाति–घांची, निवासी–वेलांगरी, तह. सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 01/2020

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन, प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 09 जुलाई, 2024**

(1)) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध श्री नवा पुत्र भूता जी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ, तहसील व जिला– सिरोही को ग्राम डोडुआ, पटवार हल्का पाडीव, तहसील व जिला– सिरोही के खसरा संख्या 1331 (पुराना) रकबा 1.05 बीघा (जिसके नये खसरा संख्या 1052 रकबा 0.2000 हेक्टेयर है)) भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही एवं श्री नवाराम पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या– 1 (राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही) की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई एवं अप्रार्थी श्री नवाराम पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी नवाराम पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ की ओर से जवाब भी प्रस्तुत हुआ। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी नवाराम पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ की मृत्यु हो जाने पर अप्रार्थी श्री नवाराम पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ के उत्तराधिकारियों (अप्रार्थी संख्या 2 से 8) को इस प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत हुआ। जिस पर बाद सुनवाई प्रकरण में अप्रार्थी नवाराम पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी–

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
* सिरोही *

डोडुआ के विधिक उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 से 8 को इस प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार प्रार्थीगण की ओर से संशोधित अनवान शीर्षक प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम डोडुआ, पटवार हल्का डोडुआ के खसरा संख्या 1331 (पुराना) व 1052 (नया) रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि का राजस्व भूमि आवंटन शिविर के दौरान दिनांक 09.2.1983 को नवाराम पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ को विधि विरुद्ध एवं गलत रुप से आवंटन किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण से पूर्व प्रार्थीगण के पिता व दादा का कब्जा काश्त 100 वर्ष से अधिक अवधि से अनवरत निर्बाध रुप से बना हुआ है, इस भूमि से लगती हुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। इस कारण प्रार्थीगण का कब्जा खसरा संख्या 1331, नया खसरा संख्या 1052 की भूमि पर कदीमी रुप से कायम है। इस भूमि के संबंध में प्रार्थी मूपाराम के पिता पुनिया पुत्र किशना को दिनांक 11.11.1979 को तहसीलदार, सिरोही से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस संख्या 533/1979 भी मिला है, इससे साफ जाहिर होता है कि उक्त भूमि वर्ष 1979 में प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में थी। यह कि मृतक नवाराम पुत्र भूताजी घांची रसूखदार व्यक्ति था जिसने तत्कालीन पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर गलत तथ्य प्रस्तुत कर धोखाधडी पूर्वक राजस्व शिविर में उक्त भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करवाया जिसका नामान्तरकरण संख्या 1296 दिनांक 26.2.1997 को दर्ज करवाया गया है। यह कि नवाराम पुत्र भूताजी घांची द्वारा गुपचुप तरीके से उक्त आवंटन करवाने के बाद किसी को कानोकान खबर होने नही दी, जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त अनवरत रुप से चला आ रहा है। यह कि नवम्बर, 2019 में प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर कनेक्शन मिलने पर उक्त भूमि में लाईट की कैंची लगाते समय श्री नवाराम पुत्र भूताजी घांची द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को नवाराम पुत्र भूताजी घांची ने धोखाधडी पूर्वक व गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन करवाया है, इस कारण से यह प्रार्थना पत्र करीब 56 वर्ष बाद इस न्यायालय में उक्त भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, डोडुआ में दिनांक 09.2.1983 को भूमि आवंटन हेतु जो शिविर आयोजित किया गया उसकी कोई जानकारी गामवासियों को नही दी गई एवं न ही ग्राम पंचायत के सरपंच व पदाधिकारियो को कोई सूचना दी गई। यह कि उक्त भूमि का आवंटन करने के संबंध में कोई उद्घोषणा जारी नही की गई है। भूमि आवंटन की निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नही किया गया। यह कि नवाराम उक्त भूमि के आवंटन हेतु पात्रता नही रखता था, क्योंकि आवंटन के समय वह भूमिहीन नही था एवं उसके पास ग्राम डोडुआ में ही उसकी पुश्तैनी व स्वयं की कृषि भूमि है एवं वह सम्पन्न व्यक्ति है जिसके पास 2 कुएं, दो ट्रेक्टर, मोटर साईकिल व अन्य सारी सुख सुविधायें थी। यह कि उक्त भूमि आवंटन हेतु मौके पर खाली नही थी एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा चला आ रहा है व मौके पर आज भी प्रार्थीगण काबिज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री नवाराम पुत्र भूता जी, जाति– घांची, निवासी–डोडुआ को ग्राम डोडुआ, पटवार हल्का डोडुआ के पुराने खसरा संख्या 1331 नये खसरा संख्या 1052 में रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के अधिवक्ता के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि नवाराम जी पुत्र भूताजी, जाति– घांची, निवासी– डोडुआ को भूमि

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर नवाराम पुत्र भूता जी घांची भूमिहीन व्यक्ति होने व आवंटन हेतु पात्र व्यक्ति होने से बाद जांच ग्राम डोडुआ, पटवार हल्का डोडुआ के खसरा संख्या 1331 जिसके नये खसरा संख्या 1052 है में रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि का नियमानुसार आवंटन किया जाकर कब्जा सुपर्द किया गया था। यह कि उक्त आवंटित भूमि पर नवाराम पुत्र भूता जी घांची का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 2 से 8 काबिज काश्त रहे है। यह कि आवंटित भूमि पर नवाराम पुत्र भूताजी घांची को कब्जे–काश्त के आधार पर व आवंटन शर्तो का पालन करने से नियमानुसार खातेदार अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। यह कि उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा करीब 7 – 8 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा किये जाने से नवाराम पुत्र भूताजी घांची द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थीगण को कब्जा खाली करने हेतु नोटिस दिया गया एवं सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करवाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत वाद प्रस्तुत किया था जो न्यायालय में लम्बित है। इस कारण से उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण ने नवाराम पुत्र भूताजी घांची के विरुद्ध प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि नवाराम पुत्र भूताजी घांची को उक्त भूमि के आवंटन के समय नवाराम पुत्र भूताजी भूमिहीन व्यक्ति होकर भूमि आवंटन कराने की पात्रता रखते थे जिसके संबंध में बाद जांच नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। यह कि नवाराम पुत्र भूताजी घांची ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर या धोखाधडी करके आवंटन नही करवाया है। यह कि प्रार्थीगण का यदि उक्त भूमि पर पुराना कब्जा–काश्त होता तो प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते, लेकिन प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि का आवंटन हुये करीब 42 वर्ष हो चुके है तथा उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी आवंटिती नवाराम पुत्र भूताजी को कब्जे काश्त के आधार पर दिये जा चुके है। आवंटन के समय उक्त भूमि मौके पर खाली होकर आवंटन योग्य होने से भूमि का नियमानुसार आवंटन किया जाकर कब्जा सुपर्द किया गया था। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRT 2007(1) Page 18-24, RRT 2011(1) Page 383, RRT 2016(2) page 769, 2019(2) RRT Page 838, 2019(2) RRT 939, 2017(2) RRT 972 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि नवाराम पुत्र भूताजी घांची को उक्त भूमि का आवंटन हुये करीब 42 वर्ष हो चुके है तथा उक्त आवंटित भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर वर्ष 1997 में खातेदारी अधिकार भी आवंटित नवाराम पुत्र भूताजी को दिये जा चुके है। इतने लम्बे समय की अवधि के बाद व खातेदारी अधिकार दिये जाने के बाद भूमि का आवंटन कानूनन निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 से 8 के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि उक्त भूमि पर नवाराम पुत्र भूताजी का आवंटन के बाद से कभी भी कब्जा नही रहा है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कब्जे–काश्त की भूमि में अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें पुलिस द्वारा एफ.आर. पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। यह कि यदि अप्रार्थी संख्या 2 से 8 या आवंटिती नवाराम पुत्र भूताजी घांची का कब्जा होता तो उनके द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में उक्त भूमि से बेदखली हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत वाद प्रस्तुत नही करते है, इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर नवाराम पुत्र भूताजी घांची का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही अप्रार्थीगण का कब्जा है, बल्कि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है।

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के आदेश क्रमांकः 545 दिनांक 09.2.1982 के द्वारा श्री नवा पुत्र भूता जी, जाति— घांची, निवासी— डोडुआ को ग्राम डोडुआ, पटवार हल्का, डोडुआ के खसरा संख्या 1331 रकबा 1.05 बीघा (जिसके नये खसरा संख्या 1052 रकबा 0.2000 हेक्टेयर है) भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। जिसकी पालना में आवंटित भूमि का आवंटिती नवा पुत्र भूता जी घांची को कब्जा सुपर्द किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 11.2.1983 के द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आवंटिती श्री नवा पुत्र भूता जी घांची, निवासी— डोडुआ के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई। तत्पश्चात् श्री नवा पुत्र भूता जी घांची, निवासी— डोडुआ को उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाकर नामान्तरकरण संख्या 1296 दिनांक 26.2.1997 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटित भूमि श्री नवा पुत्र भूता जी घांची, निवासी— डोडुआ के नाम से खातेदारी की दर्ज की गई।

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ''उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का व प्रार्थीगण के पिता व दादा के समय से पुराना कब्जा काश्त अनवरत निर्बाध रुप से चला आ रहा है एवं उक्त भूमि आवंटन के समय आवंटन हेतु खाली भूमि नही थी।'' प्रार्थीगण ने अपने उक्त कथन के समर्थन में श्री पुनीया पुत्र किशना जी मेघवाल, निवासी— डोडुआ को राजस्थान भू राजस्व अधियिम, 1956 की धारा 91 के तहत वर्ष 1979 में जारी नोटिस की छाया प्रति प्रस्तुत की है, लेकिन प्रार्थीगण ने अपने उक्त कथन के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि श्री नवा पुत्र भूता जी घांची, निवासी— डोडुआ को उक्त भूमि आवंटन के समय पर मौके पर खाली नही हो। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि उक्त भूमि पर उक्त श्री पूनिया पुत्र किशना जी का कब्जा रहा भी है तो वह केवल एक अतिक्रमी की हैसियत से रहा है। जबकि श्री नवा पुत्र भूता जी घांची, निवासी— डोडुआ को उक्त भूमि के आवंटन के समय कब्जा सुपर्द किया जाकर उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 11.2.1983 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई है एवं उसके बाद आवंटिती को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत भूमि के आवंटन के समय आवंटिती श्री नवा पुत्र भूता जी घांची, निवासी— डोडुआ, भूमिहीन की श्रेणी में नही आता हो। प्रार्थीगण ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि के आवंटन में किसी तरह की कोई अनियमितता हुई हो। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री नवा पुत्र भूता जी घांची, निवासी— डोडुआ को उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके है तथा खातेदारी की भूमि के संबंध राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09 जुलाई, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:16:31 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)